

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक १५५/विकास कार्य/नि0सू0/2026-27

दिनांक २५/७/२६

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों /फर्मों, जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार नीचे वर्णित कुल विकास कार्यों को करने हेतु निविदा फार्म/बिल ऑफ क्वानटिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु ई-निविदा दिनांक 10/8/2026 को अपरान्ह 02.00 बजे तक uktenders.gov.in की वैबसाइट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त ई निविदाओं को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 11/8/2026 को सांय 03.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्णतः अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ.डी.आर./सी.डी.आर./एन.एस.सी. के रुप में होगी तथा अधिशासी अभियन्ता, म.दे.वि. प्रा. के नाम बन्धक होगी, को निविदा शर्तों के अनुसार अन्य अभिलेख के साथ उक्त वैबसाइट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा मूल प्रति उक्त तिथि दिनांक 11/8/2026 को अपरान्ह 02.00 बजे तक प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ.डी.आर. व निविदा मूल्य का ड्राफ्ट जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र जी.पी.डब्लू-09 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या 1197/II(2)/07-75(सामान्य)/ II दिनांक 24-02-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की वैधता 90 दिन मान्य रहेगी।

क्र0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में) बिना जी0एस0टी0	धरोहर राशि (रु0)	निविदा मूल्य मय जी0एस0टी0 सहित (रु0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह)	निविदा की वैधता (दिन)
1	डोईवाला विधानसभा के अन्तर्गत तुलीप गार्डन के बगल में मुख्य बट्टीपुर मार्ग से अशोक बहुगुणा के घर तक सड़क का निर्माण कार्य।	15.25	45,750	1770	03	90
2	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत मोथरोवाला में शहीद हवलदार श्री गोविन्द सिंह रांगढ का स्मृतिद्वार का निर्माण कार्य	20.76	62,280	1770	03	90

3	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड नं० 70 लक्खीबाग में डॉ० हरीश कोहली आढ़त बाजार से लेकर लक्खीबाग होते हुये पोस्ट ऑफिस तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	58.26	1,16,520	4720	04	90
4	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड नं० 71 पूर्वी पटेलनगर में शिव मन्दिर के सामने सरदार के घर से टोनी के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	16.34	49,020	1770	02	90
5	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड नं० 71 पूर्वी पटेलनगर में शिव मन्दिर के सामने चाऊमीन वाली गली में सड़क निर्माण कार्य।	11.11	33,330	1770	02	90
6	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड नं० 71 पूर्वी पटेलनगर में त्यागी के घर से सुनील/संजय बामण के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	15.99	47,970	1770	03	90
7	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड नं० 71 पूर्वी पटेलनगर में भण्डारी बाग गली नं० 06 के मन्दिर से सुनील के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	17.87	53,610	1770	03	90
8	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड नं० 71 पूर्वी पटेलनगर में डॉ० गोयल से मनोज के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	12.15	36,450	1770	03	90
9	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड नं० 71 पूर्वी पटेलनगर में मालवी नगर में सड़क निर्माण कार्य।	16.34	49,020	1770	03	90
10	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड नं० 73 विद्या विहार के एकता इन्चलेव में जोशी के घर के पास नाले व पुस्ता निर्माण कार्य।	8.30	24,900	1180	02	90
11	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड नं० 73 पत्थरी बाग में आन्तरिक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	45.61	91,220	3540	04	90

12	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 73 विद्या विहार फेज-2 लेन न0 7बी में सड़क निर्माण कार्य।	20.52	61,560	2360	03	90
13	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 74 ब्रह्मपुरी के अन्तर्गत सूर्य मन्दिर छठपार्क की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	34.75	69,500	2950	04	90
14	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 74 ब्रह्मपुरी के अन्तर्गत ग्रीन पार्क कॉलोनी में नाली, पट्टरी व कलर टाईल्स लगाये जाने का कार्य।	38.81	77,620	2950	04	90
15	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 74 नगर निगम कॉलोनी में नेपाल के घर से नारायण के घर तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	29.66	59,320	2360	03	90
16	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 79 भारुवाला के सनसाईन कॉलोनी में देव शंकर शर्मा के घर तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.92	26,760	1180	02	90
17	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 79 भारुवाला में सनसाईन कॉलोनी में प्रदीप के घर तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.92	26,760	1180	02	90
18	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 79 भारुवाला में शाक्षी इलैक्ट्रोनिक्स से ए0के0 के घर तक नाली निर्माण कार्य।	19.54	58,620	1770	03	90
19	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 79 भारुवाला में आर्य समाज मन्दिर के पास नाली व पुलिया निर्माण कार्य।	8.90	26,700	1180	02	90
20	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 79 भारुवाला में प्रमोद जैन के निवास सुभी स्वीट्स तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.26	30,780	1770	03	90

21	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 79 भारुवाला के सनसाईन इन्क्लेव में आशीष सिंह के घर के समीप नाली निर्माण कार्य।	9.24	27,720	1180	03	90
22	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 79 भारुवाला में सेन्टमेरी स्कूल तक नाली निर्माण कार्य।	24.66	73,980	2360	03	90
23	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 80 रेस्ट कैम्प में ओम विद्या स्कूल त्यागी रोड तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	21.23	63,690	2360	03	90
24	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 80 रेस्ट कैम्प में सरदार दलीप के मकान से कक्कड़ के ममकान तक नाली व सड़क निर्माण कार्य।	25.76	51,520	2360	03	90
25	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 80 रेस्ट कैम्प में सी0 ब्लॉक कुष्ट आश्रम के बगल वाली सड़क व नाली निर्माण कार्य।	21.71	65,130	2360	03	90
26	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 80 रेस्ट कैम्प में श्याम अग्रवाल के पुराने घर की तरफ नाली व सड़क निर्माण कार्य।	21.71	65,130	2360	03	90
27	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 80 रेस्ट कैम्प में श्री दिनेश कण्डवाल के घर से विमल गुप्ता के घर तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	35.67	71,340	2950	03	90
28	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 81 रेसकोर्स दक्षिण के नरदेश्वर मन्दिर में इण्टरलॉकिंग ब्लॉक बिछाने का कार्य।	8.31	24,930	1180	03	90
29	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 81 रेसकोर्स दक्षिण के पुलिस लाईन में इण्टरलॉकिंग ब्लॉक बिछाने का कार्य।	17.16	34,320	1770	03	90

30	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 82 के दीपनगर के राजकीय प्राथमिक स्कूल प्रागण में इंटरलॉकिंग ब्लॉक बिछाने का कार्य।	17.13	34,260	1770	03	90
31	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 82 दीपनगर के शांति विहार में सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	18.64	55,920	1770	03	90
32	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 83 केदारपुर कुंज विहार में सड़क निर्माण कार्य।	34.47	68,940	2950	04	90
33	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 83 केदारपुर के कुंज विहार में नाला एवं पुस्ता निर्माण कार्य।	10.17	30,510	1770	03	90
34	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 84 बंजारावाला में आजाद विहार में आगनबाडी का जीणोद्धार का कार्य।	10.59	31,770	1770	03	90
35	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 84 बंजारावाला के मोनाल एन्क्लेव में आन्तरिक मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	23.73	71,190	2360	03	90
36	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 85 मोथरोवाला में श्री गुरु राम राय इण्टर कॉलेज से दून विश्वविद्यालय तक सौन्दर्यीकरण का निर्माण कार्य।	31.40	62,800	2950	03	90

37	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 85 मोथरोवाला में दोडवाला में सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	34.47	68,940	2950	04
38	धर्मपुर विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड न0 85 मोथरोवाला में विष्णुपुरम लेन न0 1 में राजेन्द्र बर्थवाला के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	21.84	65,520	2360	03


अधिसासी अभि

मसूरी देहरादून विकास प्रा
देहरादून।

अन्य नियम एवं शर्त :-

- 1- जिन ठेकेदारों/फर्मों को पूर्व से प्राधिकरण के किसी भी अनुभाग में किसी भी प्रकार के 02 विक आवंटित हुये हो, वह कार्य अनुबंध की प्रक्रिया में हो अथवा गतिमान हो, वह ठेकेदार/फर्म उन 02 कार्यों करने के उपरान्त ही निविदा में भाग ले पायेगा।
- 2-एक फर्म/ठेकेदार को एक बार में 02 ही कार्य आवंटित किये जायेंगे। 02 कार्य आवंटित होने के उप ठेकेदार आवंटित 02 कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही आगे निविदा में भाग लेगा।
- 3-किसी भी फर्म/ठेकेदार की 02 निविदा खुल जाने के उपरान्त यदि उस ठेकेदार की अन्य कार्यों में पायी जाती है तो उसे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 4-uktender.gov.in एवं mddaonline.in की वेबसाईट व दैनिक समाचार पत्र पर विज्ञप्ति जारी पश्चात् प्राधिकरण में यदि कोई फर्म पंजीकृत होता है तो वह फर्म उपरोक्त कार्यों में प्रतिभाग नहीं कर प
- 5-निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिव
 - निविदा वैधता के सम्बन्ध में, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में, लिटिगेशन की सूचना के सा निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में, no dues के सम्बन्ध में, रु0 100.00 के स् एवं रु0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराईज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - प्रत्येक ठेकेदार को प्राधिकरण में आवंटित कार्यों/निर्माणाधीन कार्यों अथवा वर्तमान में व आवंटित न होने/निर्माणाधीन न होने का उल्लेख उक्त शपथ पत्र में करना अनिवार्य होगा। में गलत सूचना दिये जाने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 6-उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 770/iii(2)17.20(सामान्य) 2011 टी0सी0 दिनांक 12.06 अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी उ होगी।
- 7-प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का होगा।
- 8-ई-निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को वेबसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से नि को होने वाली कठिनाईयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9-कार्य पूर्ण करने के उपरान्त डी0एल0पी0 लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार अ जायेगी।

10. कमांक - में वर्णित कार्य में टू-बिड के आधार पर इस प्रकार के कार्य करने वाली दक्ष एवं अनुभवी फर्मों/ठेकेदार जिनके पास आवश्यक अनुभव/दस्तावेज हो, उन्ही के द्वारा ही निविदा में भाग लिया जायेगा।

11. शासनादेश संख्या 306433/2025(9)/02 अधिप्राप्ति/2024 ईपत्रावली सं0 76643, दिनांक 13.6.2025 के क्रम में फर्म द्वारा ई-निविदा हेतु जमा कराये गये अभिलेखों में प्रत्येक पार्टनर/प्रोप्राईटरो का मूल निवास प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है एवं इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा प्रत्येक टेण्डर के साथ अपनी फर्म का इन्चिस्टमेंट प्रमाण पत्र भी जमा कराना अनिवार्य है।

प्रतिलिपि:-

1-सचिव, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

2-वित्त नियंत्रक, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

3-मुख्य अभियन्ता, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

4-अधिशाली अभियन्ता, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

5-नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।

6-नाजिर, म.दे.वि.प्रा. को इस आशय से प्रेषित व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7-आई.टी. अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

8-प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

9-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।

अधिशाली अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 955/विकास कार्य/नि0सू0/2026-27

दिनांक 24/7/26

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों, जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार नीचे वर्णित कुल 05 विकास कार्यों को करने हेतु निविदा फार्म/बिल ऑफ क्वान्टिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु ई-निविदा दिनांक 10/8/2026 को अपरान्ह 02.00 बजे तक uktenders.gov.in की वैबसाइट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त ई निविदाओं को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 11/8/2026 को सांय 03.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अंकित विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ.डी.आर./सी.डी.आर./एन.एस.सी. के रूप में होगी तथा अधिशासी अभियन्ता, म.दे.वि. प्रा. के नाम बन्धक होगी, को निविदा शर्तों के अनुसार अन्य अभिलेख के साथ उक्त वैबसाइट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा मूल प्रति उक्त तिथि दिनांक 11/8/2026 को अपरान्ह 02.00 बजे तक प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ.डी.आर. व निविदा मूल्य का ड्राफ्ट जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र जी.पी.डब्लू-09 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या 1197/II(2)/07-75(सामान्य)/ II दिनांक 24-02-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की वैधता 90 दिन मान्य रहेगी।

क्र0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में) बिना जी0एस0टी0	धरोहर राशि (रु0)	निविदा मूल्य मय जी0एस0टी0 सहित (रु0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह)	निविदा की वैधता (दिन)
1	सरस्वती विहार ब्लॉक 01 के अन्तर्गत लेन न01 में सड़क का निर्माण कार्य	16.70	50,100	1770	03	90
2	सरस्वती विहार ब्लॉक-ई के अन्तर्गत लेन न0 7 में सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य	29.54	59,080	2360	03	90
3	गणेश विहार ब्लॉक-बी के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य	14.77	44,310	1770	03	90

4	बद्रीश कॉलोनी में रमेश उनियाल के घर से सेमवाल जी के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	42.24	84,480	3540	03	90
5	राजपुर विधानसभा के अन्तर्गत मोहिनी रोड से बलबीर रोड तक (संजय कॉलोनी) सड़क निर्माण कार्य।	26.69	53,380	2360	03	90

twinkl
अधिशाली अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून। *7/1*

अन्य नियम एवं शर्त :-

- 1- जिन ठेकेदारों/फर्मों को पूर्व से प्राधिकरण के किसी भी अनुभाग में किसी भी प्रकार के 02 विकास कार्य आवंटित हुये हो, वह कार्य अनुबंध की प्रक्रिया में हो अथवा गतिमान हो, वह ठेकेदार/फर्म उन 02 कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही निविदा में भाग ले पायेगा।
- 2- एक फर्म/ठेकेदार को एक बार में 02 ही कार्य आवंटित किये जायेंगे। 02 कार्य आवंटित होने के उपरान्त वह ठेकेदार आवंटित 02 कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही आगे निविदा में भाग लेगा।
- 3- किसी भी फर्म/ठेकेदार की 02 निविदा खुल जाने के उपरान्त यदि उस ठेकेदार की अन्य कार्यों में निविदा पायी जाती है तो उसे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 4- uktender.gov.in एवं mdaonline.in की वेबसाइट व दैनिक समाचार पत्र पर विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् प्राधिकरण में यदि कोई फर्म पंजीकृत होता है तो वह फर्म उपरोक्त कार्यों में प्रतिभाग नहीं कर पायेगा।
- 5- निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :-
 - निविदा वैधता के सम्बन्ध में, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में, लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में, निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में, no dues के सम्बन्ध में, ₹0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं ₹0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटरीज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - प्रत्येक ठेकेदार को प्राधिकरण में आवंटित कार्यों/निर्माणाधीन कार्यों अथवा वर्तमान में कोई कार्य आवंटित न होने/निर्माणाधीन न होने का उल्लेख उक्त शपथ पत्र में करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र में गलत सूचना दिये जाने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 6- उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 770/iii(2)17.20(सामान्य) 2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी।
- 7- प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 8- ई-निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को वेबसाइट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाईयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9- कार्य पूर्ण करने के उपरान्त डी0एल0पी0 लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार अवमुक्त की जायेगी।
10. क्रमांक - में वर्णित कार्य में टू-बिड के आधार पर इस प्रकार के कार्य करने वाली दक्ष एवं अनुभवी फर्मों/ठेकेदार जिनके पास आवश्यक अनुभव/दस्तावेज हो, उन्ही के द्वारा ही निविदा में भाग लिया जायेगा।

11. शासनादेश संख्या 306433/2025(9)/02 अधिप्राप्ति/2024 ईपत्रावली सं0 76643, दिनांक 13.6.2025 के कम में फर्म द्वारा ई-निविदा हेतु जमा कराये गये अभिलेखों में प्रत्येक पार्टनर/प्रोप्राईटरो का मूल निवास प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है एवं इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा प्रत्येक टेण्डर के साथ अपनी फर्म का इन्सिस्टमेंट प्रमाण पत्र भी जमा कराना अनिवार्य है।

प्रतिलिपि:-

1-सचिव, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

2-वित्त नियंत्रक, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

3-मुख्य अभियन्ता, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

4-अधिशासी अभियन्ता, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।

5-नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।

6-नाजिर, म.दे.वि.प्रा. को इस आशय से प्रेषित व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7-आई.टी. अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

8-प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

9-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।


अधिशासी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।


कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 955 / विकास कार्य / नि0सू0 / 2024-25

दिनांक 24/7/26

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो, ऐसे फर्म/ठेकेदार अपनी श्रेणी के अनुसार कुल 43 विकास कार्य को करने हेतु बिल ऑफ क्वान्टिटी के साथ संलग्न में अंकित विशिष्टियों हेतु ई-निविदा दिनांक 10.08.2026 को अपरान्ह 02.00 बजे तक uktenders.gov.in की वैबसाईट में प्रतिभाग/अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त ई-निविदा को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 11.08.2026 को अपरान्ह 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियम तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वैबसाईट mddaonline.in में भी दिया गया है। यदि उक्त निविदा के सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशोधन आदि किये जाने की आवश्यकता होती है, तो उसकी सूचना उक्त वैबसाईट के माध्यम से दी जायेगी।


अधिशाली अभियन्ता, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।